न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 70 / 2022 (2022 / 252) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—लादुलाल पिता रामा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—बाबुलाल पिता धन्ना भील निवासी भीलखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

वादपत्र अन्तर्गत 88 आर.टी.एक्ट. सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 13.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की साबिक कृषि आराजियात ग्राम थला पटवार हल्का थला के बेरून हल्का आबादी में साबिक खाता संख्या 408 में अंकित आ.सं. 1147 / 2क रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा इसी तरह साबिक खाता संख्या 61 में अंकित आ.सं. 1147 / 1क रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आ.सं 1147 / 1ग रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा इसी तरह साबिक खाता संख्या 526 में अंकित आ.स. 1147 / 1ख रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आ.सं. 1147 / 1घ, आ.सं. 1147 / 2ख रकबा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमी को वादी द्वारा तत्कालीन खातेदार हजारी पिता मियाला, मांगु पिता लक्ष्मण, कालु मेघा पिता रामा जाति बलाई से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। इसी तरह प्रतिवादी संख्या एक की साबिक आ.सं. 1147 / 3 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित हैं प्रमाण में सम्वत् 2051 से 2055 की साबिक जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की नकल वादपत्र के साथ पेश की है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित वादग्रस्त साबिक कृषि आराजियात संख्या 1147 / 2क रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा 1147 / 1क रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आ.सं 1147 / 1ग रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आ.सं. 1147 / 1ख रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आ.सं. 1147 / 1 घ, आ.सं. 1147 / 2ख रकबा 3 बिस्वा पर तत्कालीन खातेदार अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा वक्त क्रय की दिनांक से वादी उक्त भूमी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा भूमी क्रय करने के बाद वादी ने उक्त भूमी को काफी अंग मेहनत व लागत लगाकर उपजाऊ बनाया हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक की उक्त साबिक कृषि आराजियात को साबिक नक्शे में कही तरमीम नहीं किया गया था। प्रतिवादी संख्या एक की साबिक कृषि आराजियात वादी की साबिक आराजियात के उत्तर में स्थित है तथा उसी जगह प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा हैं। तहसील रायपुर में भुप्रबंध होने से ग्राम थला में भी भुप्रबंध हुआ जिससे वादी की साबिक आ.सं 1147 / 2क रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के नवीन नम्बर 1110 रकबा 0.46 हैक्ट. व साबिक आ.स. 1147 / 1क रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आ.स. 1147 / 1ग रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के नवीन नम्बर 1107 रकबा 0.62 हैक्ट. व साबिक आ.स. 1147 / 1ख रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आ.सं 1147 / 1घ आ.सं 1147 / 2ख रकबा 3 बिस्वा के नवीन नम्बर 1109 रकबा 0.46 हैक्ट कायम किए गए। इसी तरह प्रतिवादी संख्या एक की साबिक आ.सं. 1147 / 3 रकबा 3 बीघा के नवीन नम्बर 1108 रकबा 0.65 हैक्ट कायम किए गए। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान जमाबंदी व नवीन नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश हैं। भुप्रबंध के दौरान भुप्रबंध विभाग के

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया जिस पर दोनो पक्ष की ओर से मौका स्थिति के अनुसार नक्शे को दुरूस्त कराने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादी एवं प्रतिवादी साबिक आराजी संख्या 1147 के खातेदार कृषक है जो दोनो ही अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होना दर्शाया गया है। वादी का इस प्रकरण में मुख्य कथन रहा कि वादी साबिक आराजी संख्या 1147 में जहां काबिज था उससे उत्तर की ओर प्रतिवादी काबिज होकर काश्त उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वाद कम प्रार्थना पत्र का समर्थन प्रतिवादी 1 की ओर से किया जा रहा है क्योकि इस वाद से दोनो पक्ष का रेकार्ड दुरूस्ती का प्रकरण है। इसके साथ ही प्रकरण में मुख्य बात यह है कि विपक्षी संख्या 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर के द्वारा मौका निरीक्षण पटवारी हल्का से करा रिपोर्ट चाही गई थी जिसे पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 05.07.2022 को पर्चा मौका तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया उस पर्चा मौका स्थिति का पुनः स्वयं तहसीलदार के द्वारा दिनांक 06.07.2022 को मौका निरीक्षण कर पर्चा मौका बनाया गया और उस अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर पत्रावली में प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया कि वादी आराजी संख्या 1108 रकबा 0.62 है0 पर काबिज है और इससे उत्तर की ओर लगती हुई आराजी संख्या 1108 में रकबा 0.03 है0 एवं आराजी संख्या 1107 रकबा 0.62 है0 इस प्रकार कुल 0.65 है0 भूमि पर प्रतिवादी काबिज होकर दोनो पक्ष अपने अपने खाते में दर्ज रकबे अनुसार भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नही है।

उक्त प्रकरण में मौका स्थिति एवं रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर के अनुसार यह पाया कि भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा दौराने नक्शा तैयारी के नम्बरदांजी करते समय त्रुटी हुई है जबकि मौका स्थिति पर दोनो पक्षो के मध्य कोई विवाद नही है। इस प्रकरण में जितना रकबा खातेदार के नाम दर्ज है उतने ही रकबे पर काबिज है ना किसी पक्ष को कब्जा दिया जाना है और न किसी से लिया जाना है केवल मात्र राजस्व नक्शा संधारित करते समय जो त्रुटी हुई है जिसे संशोधन कर तरमीम दुरूस्त की जानी है।उपरोक्त विवरण के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. सपठित धारा 136 भू. रा.अ. के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम थला के हाल राजस्व नक्शे में अंकित आराजी संख्या 1107 के बजाय आराजी संख्या 1108 दर्ज की जावे इसी प्रकार वर्तमान आराजी संख्या जो राजस्व नक्शे में 1108 दर्ज है के स्थान पर रकबा 0.62 है0 की सीमा तक आराजी संख्या 1107 दर्ज की जावे वर्तमान आराजी संख्या 1108 के उत्तरी भाग पर पूर्व से पश्चिम जो हाल आराजी संख्या 1107 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे दक्षिण की ओर जो शेष रकबा 0.03 हैक्ट. को यथावत आराजी संख्या 1108 का भाग का मानते हुए नवीन बटा नम्बर दिया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार डिकी जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

13-07-2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 70 / 2022 (2022 / 252) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—लादुलाल पिता रामा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—बाबुलाल पिता धन्ना भील निवासी भीलखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

वादपत्र अन्तर्गत 88 आर.टी.एक्ट. सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. सपठित धारा 136 भू.रा.अ. के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम थला के हाल राजस्व नक्शे में अंकित आराजी संख्या 1107 के बजाय आराजी संख्या 1108 दर्ज की जावे इसी प्रकार वर्तमान आराजी संख्या जो राजस्व नक्शे में 1108 दर्ज है के स्थान पर रकबा 0.62 है0 की सीमा तक आराजी संख्या 1107 दर्ज की जावे वर्तमान आराजी संख्या 1108 के उत्तरी भाग पर पूर्व से पश्चिम जो हाल आराजी संख्या 1107 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे दक्षिण की ओर जो शेष रकबा 0.03 हैक्ट. को यथावत आराजी संख्या 1108 का भाग का मानते हुए नवीन बटा नम्बर दिया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

डिक्री आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

13/07/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)